कार्यालय अध्यक्ष, विभागीय पदोन्नति सह प्रशासनिक समिति एवं अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, क्रम–01, जयपुर महानगर–द्वितीय

कम्प्यूटर टाईप टेस्ट दिनांक 14.03.2024–15.03.2024 (समय प्रातः 09:00 बजे) हेतु सामान्य दिशा–निर्देश

01. अभ्यर्थियों को परीक्षा कक्ष (मीटिंग हॉल, ग्राउण्ड फ्लोर, न्यू बिल्डिंग, जिला न्यायालय, जयपुर महानगर–द्वितीय) में परीक्षा आरम्भ होने के नियत समय से 15 मिनट पूर्व प्रवेश दिया जावेगा।

02. अभ्यर्थी परीक्षा हॉल में अपनी जगह पर बैठने के पश्चात् कृपया यह सुनिश्चिता कर लें कि कम्प्यूटर, की–बोर्ड एवं माउस सभी पूर्ण रूप से सही कार्य कर रहे है। परीक्षा शुरू होने के पूर्व उपरोक्त के बारे में अभिजागर को सूचित नहीं करने की दशा में सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी।

03. अभ्यर्थियों को सामान्य की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा। अभ्यर्थी चाहे तो स्वयं के साथ अपना यू.एस.बी. पोर्ट युक्त की–बोर्ड ला सकते है। की–बोर्ड पर कोई हिन्दी Font का स्टीकर चिपकाया हुआ नहीं होना चाहिये और न ही ऐसी कोई सामग्री को साथ में रखने की इजाजत है। अभ्यर्थी द्वारा लाये गये की–बोर्ड की कम्पेटिबीलीटी न होने पर अभ्यर्थी को आवश्यक रूप से परीक्षा कक्ष पर उपलब्ध की–बोर्ड पर ही परीक्षा देनी होगी।

04. अभ्यर्थी Desktop पर Word File को Open करेंगे तथा Page Size Legal, Font DevLys 010, Size 16 सलेक्ट करेंगे तथा सबसे उपर अपना नाम, पदनाम, न्यायालय का नाम व Sr. No./Roll No. टाईप करेंगे एवं फाईल को अपने Sr. No./Roll No. से Save करेंगे तथा Save करने के उपरान्त पुनः File re-open करेंगे। अभ्यर्थी को टाईप करने हेतु 10 मिनट का समय दिया जावेगा। अभिजागर द्वारा समय आरम्भ की घोषणा करने पर टाईप आरम्भ करना है तथा समय समाप्ति की घोषणा पर टाईप बन्द करनी है।

05. अभ्यर्थी टाईप परीक्षा समाप्त होने के उपरान्त अपनी सीट पर बैठेंगे एवं तब तक अपनी सीट से खड़े नहीं होंगे जब तक अभिजागर द्वारा उत्तर पुस्तिकाएं गिनकर एकत्रित नहीं कर ली जाती। परीक्षा समाप्ति उपरान्त उत्तर पुस्तिका में टाईप करने, लिखने व कुछ मिटाने की अनुमति नहीं होगी।

06. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, मोबाईल फोन इत्यादि ले जाने की अनुमति नहीं होगी। किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, मोबाईल फोन आदि परीक्षा कक्ष पर साथ नहीं लेकर आवें, चूंकि परीक्षा कक्ष पर उनको रखने हेतु कोई व्यवस्था नहीं की जावेगी।

07. अभ्यर्थियों को Sr. No./Roll No. की जानकारी परीक्षा कक्ष पर उपलब्ध रहेगी।

अध्यक्ष
विभागीय पदोन्नति सह प्रशासनिक समिति एवं
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, क्रम–01,
जयपुर महानगर–द्वितीय